विज्ञान एवं प्रावैधिकी

पत्रांक- वि0-2/97 664/पटना, दि0-

श्री [illegible] प्रसाद
अवर सचिव ।

सेवा में,

प्राचार्य,
सभी रा0/पो0/रा0 म0 पो0/खनन संस्थान ।

विषय- संस्थान के छात्रों को मूल प्रमाण पत्र मूल अंक पत्र लौटाने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक- 451 दिनांक- 3.2.86 के क्रम में निदेशानुसार कहना है कि किसी छात्र को अगर किसी साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए मूल प्रमाण/अंक पत्र की आवश्यकता होती है तो संस्थान के प्राचार्य उस छात्र से साक्षात्कार पत्र को देखते हुए एक अण्डरटेकिंग लेकर छात्र को एक निश्चित अवधि के लिए मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्र दे देंगे । अवधि समाप्त होने के उपरान्त छात्र मूल प्रमाण/अंक पत्र वापस संस्थान में जमा कर देंगे अन्यथा उन्हें कक्षा में उपस्थित होने से वंचित कर दिया जाएगा और वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया जाएगा ।

2. अगर छात्र पोलिटेकनिक पाठ्यक्रम को छोड़ किसी अन्य संस्थान/पाठ्यक्रम में नामांकन लेना चाहता हो तो उसे मूल प्रमाण/अंक पत्र एवं विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र वापस कर दिया जाए । संस्थान के अभिलेख के लिए अभिप्रमाणित प्रति रख ली जाए 2

पाठ्यक्रम समाप्त करने के बाद जाने हे पर भी कंडिका (2) के अनुसार ही कार्यवाई की जाए ।

विश्वासभाजन

अवर सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
बिहार, पटना ।

सतीश
11.3.97